

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1 (119) / एम.ई. / गुप-1 / 2005

जयपुर, दिनांक: 24/8/17

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने निम्नांकित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य, कार्डियोलोजी के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड-पे रू 6600/-) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी / रूल्स / 06 दिनांक 13.03.2006 एवं क्रमांक एफ. 14(1) एफडी / रूल्स / 2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 26,670/- प्रतिमाह की दर पर तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी / रूल्स / 06 दिनांक 03.07.2014 के तहत अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग जिसमें चयन हुआ	पदस्थापन स्थान	वर्ग जिसमें चयनित हुआ
1.	डॉ० संजय शर्मा पुत्र श्री अंजनी शर्मा, C/O डॉ० वी०के० गुप्ता, मं.नं. 267, ब्लॉक-डी, सर्वानन्द मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर 302017 (राज०)	एम-04	31.03.1980	GEN	मेडिकल कॉलेज, कोटा।	GENM
2.	डॉ० रवि इनाणिया पुत्र श्री जमनाराम, ए-268, शास्त्री नगर, जोधपुर	एम-08	20.08.1978	BC	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।	OBCM
3.	डॉ० प्रदीप कुमार मीणा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीणा, 13, रूप नगर-II, महेश नगर, जयपुर 302015 (राज०)	एम-09	24.05.1974	ST	मेडिकल कॉलेज, अजमेर।	STM

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पट्टाएं एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र/आदेश संख्या प.8(1) कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता का परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सकों की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर.पी.एस.सी. से प्राप्त छाया प्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन होगी।

आदेश से


(रतन लाल) 24/8/17
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 07 (35) भर्ती / गोपनीयता / 2014-15 / 553 दिनांक 15.03.2017 के सन्दर्भ में।
- अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
- समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
- संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
- निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव